

विद्यालय:-

**स्थानान्तरण सत्र 2024–25 में
कांउसिलिंग हेतु विद्यालय में कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र /
स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र**

निर्देश— स्थानान्तरण हेतु मूल संवर्ग के विद्यालयों का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। स्थानान्तरण हेतु इस विकल्प पत्र को प्रधानाचार्य से हस्ताक्षर करायें व स्थानान्तरण की प्रत्येक श्रेणी के लिये पृथक—पृथक विकल्प पत्र लाना अनिवार्य है।

कार्मिक की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार) नवीन पात्रता सूची क्रमांक

1— अध्यापक का नाम :—

2— पदनाम व विषय :—

3— वर्तमान विद्यालय का नाम :—

4— विद्यालय की श्रेणी (दुर्गम/सुगम) :—

5— किस संवर्ग (मूल संवर्ग) में प्रथम नियुक्ति प्रदान की गई (सामान्य/महिला):—

6— आवेदन का प्रकार (अनिवार्य सुगम से दुर्गम/अनिवार्य दुर्गम से सुगम/अनुरोध की श्रेणी) अंकित करें
.....

7— फ़ट्स ऐप नम्बर :—

अध्यापक के हस्ताक्षर

दिनांक सहित

हस्ताक्षर संस्थाध्यक्ष.....

संस्थाध्यक्ष का नाम.....

मुहर व दिनांक.....

स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र कांउसिलिंग स्थल पर भरा जायेगा।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	विद्यालय की श्रेणी (दुर्गम/सुगम)
1				

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम—

विद्यालय का नाम—

दिनांक:—

